PUBLIC NOTICE

As per Notification No. DNBR (PD) CC.No.065/03.10. 001/2015-16 dated 9 July 2015 read together with the Circular No. RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 dated 1 September 2016

This public notice is jointly issued by DSP HMK Holdings Private Limited (the "Company") and Shuchi Kothari ("Shuchi") pursuant to the Reserve Bank of India ("RBI") Notification No. DNBR (PD) CC. No.065/03.10. 001/2015-16 dated 9 July 2015 read together with the Circular No. RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 dated 1 September 2016.

The Company, having its registered office situated at Mafatlal Centre, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai, 400 021, is registered with the Reserve Bank of India ("RBI") as a 'Non-Deposit Taking Systemically Important Non-Banking Financial Company' and carries on the business of a Non-Banking Finance institution, neither accepts any public deposits nor does it have any public deposits outstanding and payable in its books.

The DSP HMK Trust (the "Trust") currently holds 99.98% of the paid up equity share capital of the Company. It is now proposed to dissolve the Trust and as a consequence to the dissolution, the shares currently held by the Trust in the Company will be transferred to Shuchi (as the beneficiary of the Trust).

The Company and the existing shareholders of the Company have obtained the prior approval of the RBI for the said transfer of shares.

The transfer of shares will be made after expiry of at least 30 (thirty) days from the date of this notice. The Company would continue to be engaged in the business of non-banking financial institution without accepting public deposits.

Any clarifications or inquiries in this regard may be addressed to the Company at its registered office and can contact Mr. PC Singh (pcsingh@dspinvest.com) within 30 (thirty) days from the date of this notice.

For DSP HMK Holdings Private Limited

Ms. Shuchi Kothari





GIL invites Bid for Selection of Agency for Providing Technical Manpower Service along with Laptop, Printer and Internet on leased basis for Gujarat State Warehousing Corporation (GSWC). Interested parties may visit http://www.gil.gujarat.gov.in or https://www.gil.nprocure.com for eligibility criteria & more details about the bids.

- Managing Director



NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES NOTICE is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/misplaced and the registered holder thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificates:

Folio No.	Name of the	Share Certificate(s) No.	Distinctive	No. of
	Shareholder		From	To
19434	YASHWANTLAL BALKRISHNA JOSHI	22034 4802408	4802507	100
	SHOBHANA Y JOSHI			

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/ have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificates should lodge such claim at its Registered Office at the address given above within 15 days of the publication of this Notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates.

> For RACL Geartech Limited Gursharan Singh

Place: Noida Chairman & Managing Director Date: 22" December, 2020

NOTICE

જ

HSBC MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given that the Trustees of HSBC Mutual Fund have approved the declaration of dividends under certain schemes of HSBC Mutual Fund as mentioned below:

Scheme / Plan / Option	Quantum of Dividend (in ₹ per unit)	NAV of the Dividend Option (as on December 21, 2020) (in ₹ per unit)
HSBC Flexi Debt Fund - Direct Plan - Quarterly Dividend	0.18	12.2433
HSBC Debt Fund - Quarterly Dividend	0.17	11.5898
HSBC Debt Fund - Direct Plan - Quarterly Dividend	0.18	11.6586
HSBC Regular Savings Fund - Direct Plan - Quarterly Dividend	0.20	14.0381
HSBC Large Cap Equity Fund - Direct Plan - Dividend	2.50	33.8312

The above dividend is subject to availability of distributable surplus in the schemes on the record date. Pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend options of the above-mentioned schemes will fall to the extent of dividend distribution and statutory levy, if any.

All the unitholders of the above schemes whose names appear on the register of unitholders as on the

For & on behalf of HSBC Asset Management (India) Private Limited

Sd/-

Authorised Signatory

Mumbai, December 22, 2020



Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HSBC Asset Management (India) Private Limited, 16, V.N. Road, Fort, Mumbai-400001. e-mail: hsbcmf@camsonline.com, website: assetmanagement.hsbc.co.in

Issued by HSBC Asset Management (India) Private Limited

CIN-U74140MH2001PTC134220

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA Bijni Complex, Laitumkhrah, SHILLONG - 793003 Ph: 0364-2501215/2501294 Fax: 0364-2501113 Website: http://www.nitm.ac.in/

NIT Meghalaya invites sealed tenders in a two bid system and in prescribed format from established, reputed and experienced agencies for providing Transport Service in the Institute. Tender papers are to reach the undersigned on or before 1:00 PM on 22.01.2021

Prescribed Tender documents, detailed fees and specifications, bid instructions and Terms & Conditions can be downloaded from the Institute website: http://nitm.ac.in/

Corrigendum/Addendum if any will be published in the website only. Sd/- Registrar

PUBLIC NOTICE

As per Notification No. DNBR (PD) CC.No.065/03.10. 001/2015-16 dated 9 July 2015 read together with the Circular No. RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 dated 1 September 2016

This public notice is jointly issued by DSP ADIKO Holdings Private Limited (the "Company") and Aditi Kothari Desai ("Aditi") pursuant to the Reserve Bank of India ("RBI") Notification No. DNBR (PD) CC.No.065/03.10, 001/2015-16 dated 9 July 2015 read together with the Circular No. RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 dated 1 September 2016.

The Company, having its registered office situated at Mafatlal Centre, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai, 400 021, is registered with the Reserve Bank of India ("RBI") as a 'Non-Deposit Taking Systemically Important Non-Banking Financial Company' and carries on the business of a Non-Banking Finance institution. neither accepts any public deposits nor does it have any public deposits outstanding and payable in its books.

The DSP ADIKO Trust (the "Trust") currently holds 99.98% of the paid up equity share capital of the Company. It is now proposed to dissolve the Trust and as a consequence to the dissolution, the shares currently held by the Trust in the Company will be transferred to Aditi (as the beneficiary of the Trust).

The Company and the existing shareholders of the Company have obtained the prior approval of the RBI for the said transfer

The transfer of shares will be made after expiry of at least 30 (thirty) days from the date of this notice. The Company would continue to be engaged in the business of non-banking financial institution without accepting public deposits. Any clarifications or inquiries in this regard may be addressed

to the Company at its registered office and can contact Mr. PC Singh (pcsingh@dspinvest.com) within 30 (thirty) days from the date of this notice.

For DSP ADIKO Holdings Private Limited

Ms. Aditi Kothari Desai

motherson 1 Motherson Sumi Systems Limited

(CIN: L34300MH1986PLC284510) Regd. Office: Unit 705, C Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051

Corporate Office: Plot No.1, Sector 127, Noida-201301 (Uttar Pradesh) Phone: +91 120 6679500; Fax: +91 120 2521866; E-mail: investorrelations@motherson.com; Website: www.motherson.com Investor Relations Phone Number: +91 120 6679500

NOTICE OF POSTAL BALLOT / E-VOTING TO THE MEMBERS Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act

2013, (the "Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (the "Rules") as amended from time to time, Motherson Sumi Systems Limited (the "Company") is seeking approval from its Members by passing the resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated November 10, 2020 ("Notice") by way of remote electronic voting.

In terms of Section 110 of the Act, read with Rule 22 of the Rules and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with General Circular No. 33/2020 dated September 18, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("Circulars"), the Postal Ballot Notice has been sent by e-mail on December 21, 2020, only to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company (in respect of shares held in physical form) or with their Depository Participants (in respect of shares held in dematerialized form) and made available to the Company by the respective Depositories. The communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only for following matter: Item No. Description of the Resolution

Special Resolution-Creation of charge on the shares of MSSL (GB) Ltd. in respect of loan amounting to Rs. 1000 crores availed by the Company.

The Company has engaged the services of M/s. KFin Technologies Private Limited for providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting shall commence from Tuesday, December 22, 2020 (0900 Hours IST) and shall end on Wednesday, January 20, 2021 (1700 Hours IST).

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. D.P. Gupta, Practicing Company Secretary of SGS Associates as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and E-voting process in a fair and transparent manner. The Notice has been sent/published/displayed for all the Members, whose names

appear in the Registrar of Members/List of Beneficial Owners as received from Depositories i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on December 11, 2020 being the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Pursuant to the aforesaid Circulars, for remote e-voting for this Postal Ballot, share-

holders who have not yet registered their email address and in consequence the physical copy of e-voting notice cannot be serviced, may temporarily get their email address registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx.

The Notice is available on the Company's website viz., www.motherson.com and the website of KFin Technologies Private Limited at https://evoting.kfintech.com/ The results of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman or any person authorized by the Chairman on or before January 23, 2021 and communicated

to the Stock Exchanges and shall also be displayed on the Company's website viz., www.motherson.com and the website of e-voting agency at https://evoting.kfintech.com/. The contact details for any grievances are:

Email ID: investorrelations@motherson.com

(Kind Attention: Company Secretary); Tel No. +91 120 667950 and/or at einward.ris@kfintech.com.

By order of the Board For Motherson Sumi Systems Limited

Place : Noida Alok Goel Date: 22.12.2020 Company Secretary

Sr.	Particulars		Standalor	ne Results	7	Concolidated Results		
No.		Quarte	r Ended	Year	Ended	Year Ended		
		31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-19	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
		Rs. in Mn	Rs. in Mn	Rs. in Mn	Rs. in Mn	Rs. in Mn	Rs. in Mn	
1	Total Income from Operations	257.00	1,340.36	4,473.22	7,794.66	4,508.28	11,460.37	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(104.50)	(426.99)	(537.69)	13.38	(936.68)	(814.02)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(104.50)	(426.99)	(537.69)	13.38	(936.68)	(814.02)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(119.50)	(428.99)	(597.69)	(38.62)	(996.68)	(866.02)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period	1 1	`	` [` 1	` 1	, ,	
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(118.93)	(428.64)	(596.37)	(37.82)	(996.19)	(866.05)	
6	Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	1,378.75	1378.75	1,378.75	1378.75	1,378.75	1378.75	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of previous year)	1 / 1	-	5,219.98	5,257.80	1,929.24	2,791.83	
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)			1	, , , , ,		,	
	Basic (Rs.)	(0.87)	(3.11)	(4.34)	(0.28)	(7.23)	(6.28)	
	Diluted (Rs.)	(0.87)	(3.11)	(4.34)	(0.28)	(7.23)	(6.28)	

Mideast Integrated Steels Limited

The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on

The figures for the quarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2020 and March 31, 2019 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2019 and December 31, 2018 respectively being the dates of the end of the third quarters of the financial years which were subjected to limited review In pursuance to the Judgement dated 2nd August, 2017 of Honorable Supreme Court of India, in the matter of Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 (Common Cause v/s Union o

India & Others), an amount of Rs. 924.75 crores has been imposed on the Company towards 'Compensation' as determined in the said Judgement which was to be paid by 31st December 2017, eventhough the Government Taxes and Royalty was paid on the ores extracted. Since the amount was not paid by the stipulated date, the Honorable Supreme Court ordered to stop mining operations with effect from 1st January 2018. "The Company has however filed a 'Curative petition' (Civil) before the Honorable Supreme Court of India challenging the Judgement and which is still pending. Hence provision has not been made for the same in the books of accounts. Further in the said case Company managed to get an Order dated 15th January, 2020 from Hon'ble Supreme Court, according to which Company get permission to sell 23,51,027.83 T of iron ore of different grade and sizes and which has been extracted. Further the realization amount from said sale should be deposited with the State of Odisha towards partial satisfaction of the Compensation demand raised by Demand Notice dated 02.09.2017. The Company is in process to sell the iron ore and to comply with the norms, it is further to be noted that Company managed to get an extension of further six months vide last order dated 24th November, 2020. The Company has deposited with the Government Rs. 55.67 cores including GST till October 2020 under protest towards compensation amount. Previous periods figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period's classification(s).

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the listed entity (www.mescosteel.com).

For and on behalf of the Board of Directors For Mideast Integrated Steels Limited

Date: 05 December, 2020

Place: New Delhi

Natasha Sinha

MUTUAL

MUTUAL FUND BHAROSA APNO KA

HDFC Asset Management Company Limited

A Joint Venture with Standard Life Investments

CIN: L65991MH1999PLC123027

Place: Mumbai

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 • Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

When the Fund sells a covered call (also known as writing a covered call), it would mean that the Fund would already be owning shares of

Covered Call Strategy:

the underlying stock and is selling a call which grants the buyer right, but not the obligation, to buy that stock at a set price until the option expires. The Fund would earn income known as option price or value (commonly known as the option premium) premium. An option's premium is based on several factors, like time value, intrinsic value, and implied volatility etc. **Illustration:**

The Scheme owns 100 shares of Company A. Current Market Price (CMP) is Rs.50/- per share. The Scheme writes a covered call with a

strike price of Rs.55/- and receives a premium of Rs.2.50 per share. Thus, the total premium received for selling the call option is Rs.250 (Rs.2.5*100 lot size). The call has an expiration date of 3 months. On the day of expiration of options contract:

Scenario 1: The market price of Company A is below Rs.55/-, the Scheme keeps the premium (Rs.250/-) and also the stock as the buyer

would let the call expire as CMP is lower than the strike price. Scenario 2: The market price of Company A moves above Rs.55/-, the buyer would exercise the option and the Scheme will have to deliver

the underlying stock to settle this obligation. The Scheme will get the strike price (Rs.5500/-) plus the premium (Rs.250/-).

Benefits:

The key benefit of writing a covered call option is to generate additional income (i.e. the proceeds of the options sale or option premium) on a stock already owned by the Fund. This enhances returns on a security that, in the fund manager's view, is not expected to move in the short-term. It can also be used as used as an exit strategy for a long position.

Risk:

Incorrectly pricing the option premium before writing the covered call by ignoring factors which determine pricing like number of days to expiry, adjustment with respect to announced corporate actions like dividend etc.

Other features and terms & conditions of the Scheme such as the Investment Objective, Investment Strategy etc. shall remain unchanged.

The above changes are tantamount to changes in fundamental attributes of the Scheme and have accordingly been approved by the respective Board of Directors of the HDFC Asset Management Company Limited ("AMC") and the Trustee to the Fund. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has also vide its communication dated December 21, 2020 noted the changes in fundamental attributes of the Scheme.

As per Regulation 18(15A) of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 ("MF Regulations"), changes in fundamental attributes can be carried out only after the Unit holders of the Scheme have been informed of the change via written communication and an option to exit the Scheme at the prevailing NAV without any exit load is provided to them ("Exit Option").

Thus, in accordance with the MF Regulations, existing Unit holders of the Scheme i.e. those Unit holders / investors whose valid applications have been received by the Fund till 3:00 p.m. on December 23, 2020, are provided with an option to exit at the prevailing NAV without any exit load, for a period of 30 (thirty) days from **December 30, 2020 to January 28, 2021** (upto 3:00 p.m. on January 28, 2021) (both days inclusive) ("Exit Option Period"), if they do not wish to stay invested in the Scheme pursuant to the aforesaid changes.

Acceptance, please visit our website www.hdfcfund.com. A written communication in this behalf is also being sent to existing Unit holders via email on registered email id / letter. In case any existing Unit holder does not receive the same, they are advised to contact any of the Investor Service Centres of the AMC. Unit holders should procure a release of their pledges / vacate the lien prior to applying for redemption / switch-out during the Exit Option

The Exit Option can be exercised during the Exit Option Period by submitting redemption / switch-out request at any of the Official Point(s)

of Acceptance of the Fund including online transacting facilities such as HDFCMFOnline / HDFCMFMobile. For list of Official Points of

Period. In case units have been frozen / locked pursuant to an order of a government authority or a court, such Exit Option can be exercised only after the freeze / lock order is vacated / revoked within the period specified above.

Unit holders should ensure that any change in address or bank mandate are updated in the Fund's records before exercising the Exit Option. Unit holders holding Units in dematerialized form may approach their Depository Participant for such changes.

The redemption proceeds (net of applicable taxes, if any) will be remitted / dispatched to the Unit holders within 10 (ten) working days from the date of receipt of the redemption request.

Securities Transaction Tax (STT) on redemption / switch-out of units, if any, exercised during the Exit Option Period shall be borne by HDFC AMC. Redemption / Switch-out by the Unit holders due to change in the fundamental attributes of the Scheme or due to any other reasons may entail tax consequences. In view of the individual nature of financial and tax implications, each Unit holder is advised to consult his or her own tax advisors / financial advisors.

Unit holders who have registered for systematic investment / transfer facilities into the Scheme but do not wish to continue their future investment into the Scheme, must apply for cancellation of their systematic investment / transfer facilities registrations.

Unit holders may note that no action is required in case they are in agreement with the aforesaid changes, which shall be deemed as consent being given by the Unit holders for the proposed changes. This offer to exit is merely an option and not compulsory. We would like the Unit holders to remain invested in the Scheme.

You may also visit any of the Investor Service Centres (ISC) of HDFC MF or visit www.hdfcfund.com for any other information. This addendum shall form an integral part of the SID / KIM of the Scheme as amended from time to time. The updated SID &KIM of the Scheme

For any gueries or clarifications in this regard, please call us on 1800 3010 6767 / 1800 419 7676 or email us on cliser@hdfcfund.com.

containing the revised provisions shall be displayed on the website www.hdfcfund.com immediately after completion of Exit Option Period.

For HDFC Asset Management Company Limited

Page 2

Date: December 22, 2020 **Authorized Signatory** MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

New Delhi

financialexp.epapr.in

Record Date: December 28, 2020. Face Value: ₹ 10 per unit

record date will be eligible to receive the dividend. (Investment Manager to HSBC Mutual Fund)

I HDFC

पादरी और नन हत्या के मामले में दोषी, सजा आज सुनाई जाएगी

तिरुवनंतपुरम, 22 दिसंबर (भाषा)।

केरल के कोइयम के सेंट पायस कॉन्वेंट में रहने वाली सिस्टर अभया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के 28 साल बाद यहां की एक सीबीआइ अदालत ने मंगलवार को एक पादरी एवं नन को उनकी हत्या का दोषी पाया।

फैसला सुनाते हुए कहा कि पादरी और नन के खिलाफ हत्या के आरोप साबित हुए हैं। अदालत ने कैथोलिक चर्च के फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) एवं 201 (सबतों के साथ छेडछाड करना) के तहत दोषी पाया। अदालत ने फादर कोट्ट्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 (अनधिकार प्रवेश) का दोषी भी

पाया। अदालत सजा की अवधि पर फैसला बधवार को सुनाएगी। दोषी जमानत पर हैं और उन्हें कोविड-19 की जांच कराने के बाद हिरासत में ले लिया गया फादर कोट्टूर को पूजापुरा की केंद्रीय जेल भेजा गया है जबकि सिस्टर सेफी को यहां अत्ताकुलनगारा महिला जेल भेजा गया है। यह मामला 21 वर्षीय अभया की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत से संबंधित एक कुएं से मिला था। अभया कोट्टयम के बीसीएम कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और कॉन्वेंट में रहती थी। इस मामले में अन्य आरोपी फादर जोस पुथ्रीक्कयील को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। शुरुआत में मामले की जांच स्थानीय पुलिस और राज्य की अपराध शाखा ने की थी और दोनों ने ही कहा था कि अभया ने खुदकुशी की है।

सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित तुहिन डे ने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण की

कोटा, २२ दिसंबर (भाषा)।

तृहिन डे का गले से नीचे का शरीर भले ही लकवाग्रस्त हो, लेकिन उनके इरादे फौलाद से भी मजबूत हैं और इन्हीं की बदौलत उन्होंने जेईई परीक्षा में

सफलता हासिल की। सेरेबल पाल्सी रोग से पीडित 21 वर्षीय डे मुंह से पेन पकड कर लिखते हैं और इसी तरह से वह अपना मोबाइल फोन और कंप्यूटर चलाते हैं। जेईई (मुख्य) परीक्षा में 438 वीं रैंक हासिल कर पश्चिम बंगाल के शिवपुर स्थित भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश लिया है। अब तक डे की 20 बार सर्जरी हो चुकी है। उनकी हड्डियों को सीधा रखने के लिए कई प्लेटें लगाई जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले डे ने राजस्थान के कोटा में रहकर परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने पिछले साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. लेकिन कक्षा 12 में जरूरी

अंक प्राप्त नहीं कर सके थे।

ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED

A JV of PSUs under the Ministry of Power

आवश्यक सूचना

(बदलना) उपभोक्ताओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क है।

पुराने मीटर से निःशुल्क स्मार्ट मीटर विस्थापन के लाभ

www.eeslindia.org

बिक्री सूचना

स्पैक्टैक्युलर मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

CIN: L74300DL2010PTC207992

(कम्पनी)

पंजी. कार्यालय: 403, प्रभात किरण, 17, राजेन्द्र प्लेस, नई

दिल्ली-110008, भारत

स्थान जहां लेखा पुस्तकें एवं कागजात प्रबंधित हैं: 403, प्रभात

किरण, 17, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, भारत

परिसमापक: मोह. नाजिम खान

परिसमापक का पताः जी-41, भू तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

ईमेलः nazim@mnkassociates.com, सम्पर्क नं.: +91-11-45095230

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया)विनियमन, २०१६ के विनियमन २ बी के

एतदृद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के साथ पठित आईबीबीआई

(परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 2 बी के अंतर्गत समझौता अथवा

व्यवस्था की योजना के अंतर्गत सम्पर्ण कम्पनी नाम स्पैक्टैक्यलर मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट

लिमिटेड की इसके प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर माननीय राष्ट्रीय कम्पनी

विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली पीठ III, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश तिथि

07 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से नियुक्त परिसमापक के कब्जे में उक्त कम्पनी की ऑन

समझौता या व्यवस्था द्वारा उपरोक्त बिक्री ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा

'जो कुछ भी वहां है'' आधार पर की जायेगी तथा वह कम्पनी अधिनियम, 2013 के

किसी पुनरीक्षण अथवा संशोधनों सहित धारा 230 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों

के साथ पठित भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन

आगे जानकारी के लिये इच्छुक आवेदक 20.01.2021 को या पूर्व सोमवार से शुक्रवार

तक 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप. के बीच किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी र

अंतर्गत समझौता अथवा व्यवस्था द्वारा कम्पनी की बिक्री

गोइंग कंसर्न आधार पर बिक्री के लिये योजना जारी की जाती है।

2016 के उपबंध 2 बी के प्रावधानों के अधीन होगी।

सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि: 21.12.2020

स्थानः नई दिल्ली

उठाने के लिए E.E.S.L. द्वारा जनहित में जारी।

स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के तहत मीटर विस्थापन

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के सनल कुमार ने हैं। उनका शव 27 मार्च, 1992 को सेंट पायस के

यूनियन बैंक फोन नं. 011-28754615, 28754642 ईमेल आईडी: dlirec@unionbankofindia.com, mcrlddelhinorth@unionbankofindia.com

मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना के लिये फाइनांसियल एक्स्प्रैस तथा जनसत्ता तिथि 28.11.2020 में प्रकाशित विज्ञापन जिसमें 7.1.2021 को आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी पर शालीमार बाग शाखा के मै. बजोरिया एग्रो प्रॉसेसिंग प्रा.लि. की सम्पत्ति रखी गई थी, के संदर्भ में कृपया ध्यान रहे कि सम्पत्ति सं. 1''महेन्दर गोपाल बजोरिया के नाम में आवासीय सम्पत्ति, मकान सं. 6-बी-4, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान-335015, माप 1355 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा'' की ईएमडी राशि रु. 9,99,400/- पढ़ी जायेगी। अन्य सभी खाता/विवरण/नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

> प्राधिकृत अधिकारी युनियन बैंक ऑफ इंडिया

फार्म नं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

फेइ बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू45201डीएल2006 पीटीसी148115) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा

आवेदक / याचिकाकर्ता

कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली —110055 में है के मामले में

तदद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की वारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् पृष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेत् 21 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हों, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-24366038, फैंक्स: 011—24366039 अथवा rd.north@mca.gov.in पर मेल करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए

कृते फेइ बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

संदीप कुमार गुप्ता 23 दिसंबर, 2020 निदेशक नई दिल्ली डीआईएनः 07090519

राजस्थान: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत

जयपुर, 22 दिसंबर (भाषा)।

शहर के गोपालपुरा रोड पर एक कार के घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह

डंपर से टकराने के बाद कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबिक दो अन्य

जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि दोस्तों का यह समृह सोमवार रात 'गुर्जर की थड़ी' जा रहा था, जब हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि

रफ्तार तेज थी। उन्होंने बताया कि मुकेश (30), पुष्पेंद्र (30) और राकेश (32) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल हो गए।

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED

CIN- L29199DL1985PLC015796 Regd. Off.: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Phone No. 011-43502330, Fax. No. 0120-2462675

E-Mail id: compsect@udtltd.com, Website: www.udtltd.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the under mentioned share certificates of the company are stated to be lost or misplaced or stolen:

Sr. No.	Name of shareholder / purchaser	Share certificate Number	Distinctive No. From To	No. of shares
1.	Reena B Gala Jt. with Bhavin B Gala / 14188	23431 22645	10909131-10909930 10700623-10700722	800 100
2.	Vanshika Gupta / 9971	20543	10297184-10297883	700
3.	Mamta Amrish Jain Jt. with Avinash Jain	9713 9716	971201-971300 971501-971600	100
4.	Hitesh M Patel / 12300	18565	1830814-1830913	100
		Total		1900

Any person(s) who has a claim of lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company's Share Transfer Agent namely Alankit Assignments Limited, 1E/13, Alankit Height Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 within 15 days from the date of the notice, indicating the nature of claim or lien or interest of his objection in the said issue of duplicate share certificates through an affitdavit otherwise the company will proceed to issue duplicate share certificate without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.

For United Drilling Tools Limited

Place: Noida Date: 22.12.2020

ි RACL

P. K. Ojha Company Secretary

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड

CIN: L34300DL1983PLC016136 पंजी. कार्यालय: 15वाँ तल, ईरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 Phones: +91-11-66155129, +91-120-4588500 / Fax No.: +91-120-4588513

E-Mail: investor@raclgeartech.com, Website: www.raclgeartech.com

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी निम्न शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के कथित रूप से गुम/स्थानच्युत हो जाने की सूचना मिली है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कम्पनी के पास आवेदन किया है:

		विशि	शेयरों की सं.	
	(त्रा) का स.	स	तक	જા સ.
यशवन्त लाल बाल कृष्ण जोशी	22034	480240	480250	100
शोभना वाई जोशी		8	7	
	यशवन्त लाल बाल कृष्ण जोशी	(त्रों) की सं. यशवन्त लाल बाल कृष्ण जोशी 22034	(त्रों) की सं. से यशवन्त लाल बाल कृष्ण जोशी 22034 480240	(त्रों) की सं. से तक यशवन्त लाल बाल कृष्ण जोशी 22034 480240 480250

एतदद्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा व्यवसाय के प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में कम्पनी के प्रति कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिये गये पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर

विचार नहीं की जायेगी तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिये

तिथि: 22 दिसम्बर, 2020

स्थानः नोएडा

गुरशरण सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड ТАТА पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर-ए 1101 पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम

ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 शाखा पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानी के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचन ऋण खाता सं. अनुराग नागपाल 6314829,5528649 तथा 6314535

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सचन दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभृत लेनदार/टीसीएफएसएल) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार) वे अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, 1. अनुराग नागपाल, 2. मोनीत नागपाल, 3. केवीएम स्टील (प्रा.) लि. इसके निदेशक अनुराग नागपाल एवं 4. केवीएम स्टील (प्रा.) लि. इसके निदेशक मोनीत नागपाल से 22 नवम्बर 2019 तक कुल राशि रु. 2,40,54,290.64/- (रुपये दो करोड़ चालीस लाख चौवन हजार दो सौ नब्बे एवं चौसट पैसे मात्र) की वस्ली हेतु ''जैसे है जहाँ है'', ''जो है वहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 29 जनवरी, 2021 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे वर्णित है।

जबिक प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से कथित 29 जनवरी, 2021 को 2 बजे अपराहन 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक-ई-1 झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर किया जायेगा। ज.ध.रा. के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी कथित 28 जनवरी, 2021 को 5 बजे अपराह्न तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'' की स्थिति में किया जायेगा और जहाँ तक सुनिश्चित किया गया है कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

मकान नं. सी-3/20, सम्पूर्ण अपर ग्राउण्ड फ्लोर, छत/टेरेस के अधिकार रहित, माप 30 वर्ग गज, खसरा नं. 2304 का भाग, आवासीय कॉलोनी मानसरोवर गार्डन, ग्राम बसाई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली, नगर निगम दिल्ली में स्थित, साथ ही कथित भवन की भूमि का आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य एवं इम्पार्शियल स्वामित्व अधिकार, साथ ही कथित भवन की अन्य सभी कॉमन सविधाओं सहित स्टेयरकेस एवं पैसेज का कॉमन अधिकार और उसका स्वामित्व तथा सीमाएं (अधिक विवरण विक्रय विलेख पंजीकरण सं. 20078 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 में) : उत्तर : मानसरोवर गार्डन की बाउंड्री, दक्षिण सङ्क, पूर्व : सङ्क तथा पश्चिम : सम्पत्ति सं. सी-3/20.

सम्पूर्ण अपर ग्राउण्ड फ्लोर, छत/टेरेस के अधिकार रहित, माप 197 वर्ग गज, फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. सी-3/20, में से, राजौरी गार्डन, ग्राम बसाई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली, नगर निगम दिल्ली में स्थित, साथ ही कथित भवन की भूमि का अविभाजित, ¼ अनुपातिक हिस्सा/स्टिल्ट/पार्किक फ्लोर पर अधिकार, साथ ही कथित भवन की अन्य सभी कॉमन सुविधाओं सिहत स्टेयरकेस एवं पैसेज का कॉमन अधिकार और उसका स्वामित्व तथा सीमाएं (अधिक विवरण विक्रय विलेख पंजीकरण सं. 20050 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 में) : उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : सड़क, पूर्व : अन्य भूमि तथा पश्चिम : सम्पत्ति सं. सी-3/21.

आरक्षित मूल्य (रु.) : रु. 1,80,00,000/-धरोहर राशि (रु.) रु. 18,00,000/-

प्रतिभूत आस्ति का विवरण : सम्पत्ति 2.

प्रतिभूत आस्ति का विवरण-सम्पत्ति 1

प्लॉट सं. 153, माप क्षेत्रफल 92 वर्ग गज, ब्लॉक-वाई में, डब्ल्यूएचएस नारायणा, लोहा मंडी, नई दिल्ली के लेआउट प्लान में (अधिक विवरण दस्तावेज सं. 10009 पुस्तक सं. 1, वॉल्यूम सं. 5970, पृष्ठ सं. 122-125 प वर्णित, 06-07-2016 को पंजीकृत). सीमाएं : उत्तर : प्लॉट सं. 152, पूर्व : सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. 154, एर

धरोहर राशि (रु.): 12.30.000/-आरक्षित मूल्य (रु.) : रु. 1,23,00,000/-

' संविदाकार अपनी सम्बन्धित संविदाएं सभी सम्पत्तियों हेतु संयुक्त रूप से अलग–अलग कर सकते हैं। सम्पत्ति का विवरण जिसे अनुसुची में विक्रय हेतु रखा जायेगा। यदि बकाये की राशि, ब्याज तथा लागतें (विक्रय की लागत सहित) 'अधिकृत प्राधिकारी' को अदा कर दी जाती है अथवा उसकी सन्तुष्टि के लिए प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण, ब्याज तथा लागतों की राशि को अदा कर दिया गया है तो विक्रय रोका भी जायेगा। विक्रय में जनसामान्य को अपनी निविदा व्यक्तिगत रूप से जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किर्स हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं कर सकेगा।

यदि ऋणकर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. को बकाये की पूर्ण राशि का भगतान करता है तो विक्रय रोका जा सकता है। यह विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों के अनरूप किया जायेगा

ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित 29 जनवरी, 2021 को 2.00 बजे अपराहन से 3.00 बजे अपराहन के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से की जायेगी। 1. यहाँ नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरणों को अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण संज्ञान में उल्लिखित किया गया है किन्तु

अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संविदा राशि अथवा संविदाकार के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की स्थिति में इस लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. सम्पत्ति का विक्रय आरक्षित मल्य से कम पर नहीं किया जायेगा। 3. संविदा की बढोत्तरी राशि रु. 1.00.000/- (रुपये एक लाख मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि दिल्ली में देय ''टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि.'' के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। 5. उच्चतम संविदाकार को किसी भी लॉट का केता घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 12.01.2021 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। ८. सफल संविदाकार समस्त विधिक बकायों/करों/प्रभारों/शुल्कों/हाउसिंग सोसाइटी सम्पत्ति कर/बिजली/पानी आदि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा। यदि इच्छ्क संविदाकार चाहे तो संविदा से पूर्व विभिन्न संगठनों से विभिन्न बकायों के विषय में स्वयं मुल्यांकन कर सकता है। टीसीएफएसएल को इसके विषय में सुचना प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है। 9. इच्छुक संविदाकार को अपनी संविदा जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी सम्पत्ति के ऋणभारों, स्वामित्व तथा प्रतिभृत आस्ति के दावों/अधिकारों/बकायों/प्रभावक तत्वों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पृछताछ कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी सुचना टीसीएफएसएल की ओर से किसी प्रतिनिधान की कोई प्रतिबद्धता न तो निर्मित करती है और न करेगी। प्रतिभृत आस्ति टीसीएफएसएल की जानकारी या गैर-जानकारी में समस्त वर्तमान तथा भावी ऋणभारों सहित बिक्री की जा रही है। प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी किसी थर्ड पार्टी के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे। 10. क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करना होगा। इस राशि के जमा करने में चूक करने पर, ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जायेगा। 11. जहाँ बिक्री का लेन-देन रु. 50,00,000/-या इससे अधिक है वहाँ आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194-1ए के अनुसार बिक्री कार्यवाही पर टीडीएस देय होगा। सफल संविदाकार/क्रेता विक्रय राशि में से टीडीएस का अपेक्षित प्रतिशत घटा लेगा और इसे प्रपत्र 16बी में आय कर विभाग के पास जमा करेगा। टीडीएस भगतान की पावती रसीद अधिकृत प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करनी होगी। 12. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पृष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे सरफैसी अधिनियम के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर **क्षेत्रीय** परामर्श से, जैसा मामला हो, किन्तु केवल सहमति के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त अवधि के भीतर भगतान न कर पाने की स्थिति में विक्रय की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति का पनः विक्रय किया जायेगा

https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS% आदि मार्केंटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड 26CONDITIONS.pdf में प्रावधानित लिंक देखें अथवा अधिकृत प्राधिकारी या सेवा प्रदाता नेक्सजेन सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें। स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 23 दिसम्बर, 2020

महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की अवधि को निम्नानुसार बढ़ा दिया गया है:--

त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों की संचालन अवधि में विस्तार				
रेलगाड़ी सं. एवं नाम	अधिसूचित तिथि	विस्तारित अवधि		
02819 मुवनेश्वर—आनन्द विहार टर्मि सुपरफास्ट	03.01.2021	31.01.2021		
02820 आनन्द विहार टर्मि—भुवनेश्वर सुपरफास्ट	05.01.2021	02.02.2021		
08311 सम्बलपुर—मंडुवाडीह मेल/एक्सप्रेस	03.01.2021	27.01.2021		
08312 मंडुवाडीह—सम्बलपुर मेल/एक्सप्रेस	04.01.2021	28.01.2021		
02851 विशाखपट्टणम—ह.निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट	01.01.2021	29.01.2021		
02852 ह.निज़ामुद्दीन-विशाखपट्टणम सुपरफास्ट	03.01.2021	31.01.2021		
02887 विशाखपट्टणम—ह.निजामुद्दीन सुपरफास्ट	02.01.2021	31.01.2021		
02888 ह.निजामुद्दीन-विशाखपट्टणम सुपरफास्ट	04.01.2021	02.02.2021		

नोटः उपरोक्त विशेष रेलगाडियों की समय-सारणी, पथ, चलने के दिन एवं यात्रा श्रेणियाँ पूर्ववत रहेंगी।

उपरोक्त विशेष रेलगाडियों में केवल पूर्णतः रिजर्व श्रेणी के यात्री डिब्बे ही होंगे। रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाडियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन एवं उनकी विस्तृत

समय-सारणी की जानकारी के लिए दूरभाष सं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइटः www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें

नोटः रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और अन्य सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

इंटीग्रेटेड हेल्पलाईन नं0 139

सुरक्षा हेल्पलाइन नां 182





TIRATH RAM SHAH HOSPITAL

PUBLIC NOTICE

This is to inform to general public that as

per the policy, we are discarding all Indoor

patients' case files (except MLC, legal &

death cases) of the period January-2015

to December-2015. In case a person

requires any IPD record of the patient

admitted during 2015, he/ she may contact

to the Medical Record Officer within

15 days of publication of this notice. The

hospital shall not be responsible for any

Medical Superintendent

loss of record after the period mentioned.

2A, RBL Isher Das Sawhney

Marg, Rajpur Road, Delhi-54

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजी कार्यालय: 100/101,

वर्ल्ड टेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन,

नई दिल्ली-110 001

ई-मेल: investor@in.nestle.com

वेबसाइट: www.nestle.in

फोन: 011-23418891, फॅक्स: 011-23415130

एतदुद्वारा सृचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर

2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी

के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर मंगलवार

16 फरवरी, 2021 को आयोजित हाने वार्ल

प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में विचार किया जायेगा

प्ररुप सं. आइएनसी-26

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के

समक्ष उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधार

(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

एमजी मार्केंटिंग एंड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

(CIN:U51909DL2006PTC155228)

जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 7, साधना एन्कलेव

नई दिल्ली, साउच दिल्ली 110017 में रिचत है

आम जनता को यह सुधना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के संमक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्तार

करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से

तारीख बुधवार, सितम्बर 30, 2020 को

आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित

ख्यानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित

होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत

प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता

और उसके विरोध का कारण उठिलखित हो के साथ

अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना

या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार

प्रकाशन की तारीख़ से 14 दिनों के मीतर **क्षेत्रीय**

निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रायल

बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 परी

ार पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर

सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके

उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

प्लॉट नं ७, साधना एन्क्लेब, नई दिल्ली, साउध

दिल्ली 110017

एमजी मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

तिथि : 22.12.2020 शेखर अग्रवाल

प्ररुप स. आइएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निवेशक के

समक्ष उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

आदि मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

(CIN:U51109DL2008PTC184542)

जसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 40-41, कम्युनिटी

सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025 मे

आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013.

की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव

करती है जिसमें कंपनी का रजिस्टीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' सं

हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए

तारीखा मंगलवार, सितम्बर 29, 2020 को

आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित

होता है तो वह व्यक्ति **या तो निवेशक शिकायत**

प्ररुप काइल कर एमसीए-21 पोर्टल ((www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता

या एक शपथ पंत्र जिसमें उनके हित का प्रकार

और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ

अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना वं

निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रायल

बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर्त

पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुदे कर

सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके

उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। 40-41, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025

में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

आवेदक की ओर र

डीआईएन : 00066113

पता : प्लॉट नं 7, साधना एन्क्लेब

नई दिल्ली, साउब दिल्ली 110017

'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के

में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

जनरल काउंसल

एवं कम्पनी सचिव

निवेशक वेबसाइट www.nestle.in

www.bseindia.com भी देख सकते हैं।

स्थान: गुरुग्राम

तथि: 21.12.2020

Ph: 23972425, 23948484

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

फार्म नं. आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले पाइराईट बिल्डर्स एंड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू70102डीएल

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4)

2007पीटीसी158415) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली –110055 में है के मामले में आवेदक / याचिकाकर्ता

एतदद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् पृष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 21 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-24366038 फैंक्स: 011—24366039 और ई—मेल: rd.north@mca.gov.in तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पर्ते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सुचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जॉनी चाहिए।

> कृते पाइराईट बिल्डर्स एंड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड सतीश कुमार त्यागी

22 दिसंबर, 2020 निदेशक नई दिल्ली डीआईएनः 00003431

मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : एच-1, जमरूदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

वेबसाइट : www.mescosteel.com; सीआईएन : L74899DL1992PLC050216; दूरभाष नं. : 011-29241099 तथा 40587085

MES	44/11/2 . WWW.III.505/065							
	31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैण्डएलोन विवरण तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम							
क्र.	विवरण		स्टैण्डएलोन	न परिणाम		समेकित परिणाम		
सं.		समाप्त		00	त वर्ष		समाप्त वर्ष	
	1	31 मार्च,		31 मार्च, 20			31 मार्च,	
		2020	लेखापरीक्षित		लेखापरीक्षित		2019	
		लेखापरीक्षित	रु. मिलियन			लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
		रु. मिलियन में	में	में	में	रु. मिलियन में	रु. मिलियन में	
1	प्रचालनों से कुल आय	257.00	1,340.36	4,473.22	7,794.66	4,508.27	11,460.37	
2	अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(104.50)	(426.99)	(537.69)	13.38	(936.68)	(814.02)	
3	अवधि हेतु कर पूर्व निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(104.50)	(426.99)	(537.69)	13.38	(936.68)	(814.02)	
	अवधि हेतु कर पश्चात निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(119.50)	(428.99)	(597.69)	(38.62)	(996.68)	(866.02)	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पचात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	(118.93)	(428.64)	(596.37)	(37.82)	(996.19)	(866.05)	
6	इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य)	1,378.75	1378.75	1,378.75	1378.75	1,378.75	1378.75	
7	आरक्षितियां (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)			5,219.98	5,257.80	1,929.24	2,791.83	
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)		Š i				9 9	
	बेसिक (रु.)	(0.87)	(3.11)	(4.34)	(0.28)	(7.23)	(6.28)	
	डाइल्यूटेड (रु.)	(0.87)	(3.11)	(4.34)	(0.28)	(7.23)	(6.28)	

1. उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा तथा संस्तुति लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है और 5 दिसम्बर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये तथा रिकार्ड पर लिए गये हैं। 2. 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 के आंकड़े 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त पूर्ण वित्त वर्ष के परिप्रेक्ष्य में लेखापरीक्षित आंकड़ों के मध्य संतुलनकारी आंकड़े हैं और वित्त वर्ष की तीसरी तिमाहियों

के अन्त की तिथि क्रमशः 31 दिसम्बर, 2019 तथा 31 दिसम्बर, 2018 तक के वर्ष से तिथि तक के अलेखापरीक्षित प्रकाशित आंकड़े हैं जो सीमित समीक्षा के अध्यधीन थे। 3. रिट याचिका (सिविल) नं. 2014 के 114 (कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तिथि 2 अगस्त, 2017 के अनुपालन में कम्पनी पर उक्त फैसले में निर्धारित रूप में 'क्षतिपूर्ति' के लिये रु. 924.75 करोड़ की राशि आरोपित की गई है जिसका भुगतान 31 दिसम्बर, 2017 तक किया जाना था, यद्यपि एक्स्ट्रैक्ट की गई अयस्कों पर सरकार के करों तथा रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। चुंकि, निर्धारित तिथि तक उस राशि का भुगतान नहीं किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 2018 से खनन प्रचालनों पर रोक लगा दी है।

लेकिन, कम्पनी ने इस फैसले को चनौती देने के लिये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 'क्यरैटिव पेटिशन' (सिविल) दाखिल किया है जो अभी लम्बित है। अतएव, लेखा पस्तकों में उसका प्रावधान नहीं किया गया है। पुनः कथित मामले में कम्पनी को माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2020 प्राप्त हुए, जिसके अनुसार कम्पनी को विभिन्न ग्रेड तथा आकार के 23,51,027.83 टन आयरन ओर की बिक्री की अनुमित मिली है तथा जिसे एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। पुनः कथित बिक्री की वसूली राशि मांग सूचना दिनांक 02.09.2017 द्वारा मांगी गयी क्षतिपूर्ति मांग के आंशिक सन्तुष्टि के लिए ओडिशा राज्य में जमा की जानी है। कम्पनी आयरन ओर की बिक्री तथा मानदण्डों के अनुपालन की प्रक्रिया में है, यह पुनः ध्यान दिया जाए कि कम्पनी ने आदेश दिनांक 24 नवम्बर, 2020 के अन्तिम आदेश के माध्यम से पुनः 6 महीने का विस्तार प्राप्त कर सकी है। कम्पनी ने जुर्माना राशि के लिए प्रोटेस्ट के तहत अक्टूबर 2020 तक जीएसटी सहित रु. 55.67 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा किया हैं। . उसे चालू अवधि के वर्गीकरणों के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/ वर्ष के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन) अपेक्षा विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के वित्तीय प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.mescosteel.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 05 दिसम्बर, 2020

केनरा बैंक Canara Bank 📣 🔳 सिडिकेट Syndicate

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबकि, अद्योहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन धेनियम 2002, (2002 का संख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भुगतान करने के लिये निममित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भूगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा संपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

	शाखा का नाम	ऋणकर्ता / बंधककर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे र्क तिथि एंव स्थान
100	सी, नैनीताल रोड,	(पोप्पणस्टर) श्रीमती ततस्यम	मकान संपत्ति स्थित मौहल्ला चक महमूद, बरेली खसरा नंबर 24,25,29 संपत्ति श्रीमती तबरसुम पत्नी मी. अजीम के नाम, क्षेत्रफल 27 वर्ग गज। सीमार्थ:— उत्तर: शेष आरजी विक्रेता, दक्षिण: गली 6 फीट चीड़ी, पूर्व: इकबाल का मकान वर्तमान में कथ्यूम, पश्चिम: शेष आरजी विक्रेता	₹50 292554.37	22.12.2020 बरेली
दि	नांक:-	22.12.2020		प्राधिकृत अधि	कारी

एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमशियल बैंक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड्, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सुचना पत्र

अओहस्ताक्षरकर्ता एवं स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेंड के प्राधिकत अधिकारी है।''वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गंडन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की ''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह-ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी / ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी ६० दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत ओस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें । इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी

ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/ गारन्टर का नाम/ ऋण खाता संख्या (खाता सं.) LSEST05916-170538115 (L9001060700886329) अजय सिन्हा (ऋणी), श्रीमती तनू सिन्हा (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)		धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	
		3 दिसम्बर 2020 ₹5927204/- रु. उनसाठ लाख सताइस हजार दो सी चार मात्र दिनांक 3 दिसम्बर 2020 तक	सम्पत्ति बैरिंग नं. आर जेड-429/सी, खसरा नं. 835/415 एवं 416, नासीरपुर के क्षेत्र में, कैलाशपुरी कॉलोनी में, नई दिल्ली, क्षेत्रफल 33 वर्ग गज	
स्थान : दिल्ली	दिनांकः २२	-12-2020 प्राधि	कृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	

punjab national bank पंजाब मैशनल बैंक मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट - ई, मयूर विहार, फेज-।।, दिल्ली-110091

कब्जा सूचना प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत

मोह. नाजिम खान∕परिसमापक

आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/

IP-N00076/2017-18/10207

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-11, विल्ली-110091 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार श्री राज नायर और श्रीमती कोमल चौहान (उधारकर्ता/बंधककर्ता) फ्लैट नं. 101, टॉवर-1, पार्श्वनाथ मेजिस्टक इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी. - 201010 को मांग नोटिस दिनांक 10.07. 2019 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 26,37,811.86 (रु. छब्बीस लाख सैतीस हजार आठ सौ ग्यारह और पैसे छियासी मात्र) और भविष्य का ब्याज, आकिस्मक प्रभार इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वार कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 19.12.2020 को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि

ये निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।।, दिल्ली के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 26,37,811.86 (रु. छब्बीस लाख सैतीस हजार आठ सौ ग्यारह और पैसे छियासी मात्र) और भविष्य का ब्याज, आकिस्मक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा

अचल सम्पत्तियों का विवरण

साम्यिक बंधक फ्लैट, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 5/441 पर निर्मित सैक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद में स्थित, चौहदी : पुरब में – प्लॉट नं. 455, पश्चिम में – 35फीट बौडी रोड, उत्तर में – प्लॉट नं, 440, दक्षिण में – प्लॉट नं, 422

दिनांक : 19.12.2020. स्थान : नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

खर्ची प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभत लेनदार हारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भगतान करके मक्त करवा सकते हैं।

तिथा : 22.12.2020 स्थान : नई दिल्ली विमल बंका ਫੀਆਵੰਦਜ : 00322532 पता : बी-3 संक्टर-44 नोएडा उत्तर प्रदेश 201301

www.readwhere.com

और तब तक जमा की गयी सभी राशि को टीसीएफएसएल द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और दोषी क्रेता सम्पत्ति या उस

राशि के किसी भाग के प्रति कोई दावा नहीं कर सकेगा जिसे बाद में बेचा जा सकता है। सम्पत्ति का पुनः विक्रय

अधिकृत प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में होगा। 13. नोट : इच्छुक संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी श्री जगदीप

सहरावत, ई-मेल आईडी jagdeep.sehrawat@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. 8588806158 से सम्पर्क कर सकते हैं। 14. विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ह./-, अधिकृत प्राधिकारी